



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21012021-224622
CG-DL-E-21012021-224622

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 271]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 21, 2021/माघ 1, 1942

No. 271]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 21, 2021/MAGHA 1, 1942

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 2021

का.आ. 297(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइंस (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 4420 (अ) तारीख 09 दिसम्बर, 2019, भारत के राजपत्र सं. 3975 तारीख मंगलवार, 10 दिसम्बर, 2019 में प्रकाशित की गई थी। इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में बिहार राज्य में “हल्दीया - बरौनी पाइपलाइन सिस्टम्स परियोजना” हेतु जिला पटना में कच्चा तेल के परिवहन हेतु इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार के अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी।

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की सूचना संबन्धित भू-स्वामियों को तारीख 22 जुलाई 2020 तक उपलब्ध करा दी गई थीं,

और सक्षम प्राधिकारी (बरौनी, बिहार) ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है,

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार के अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनीर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ,

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग के अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगी,

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदाई होगा और पाइपलाइन से संबन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची					
जिला - पटना			राज्य : बिहार		
अंचल	मौज़ा का नाम	सर्वे / प्लॉट नम्बर	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	अरे	वर्ग मीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मोकामा	हाथीदह बुजुर्ग - 20	1067	00	06	58
		1066	00	02	46
		1065	00	02	28
		1064	00	02	59
		2413	00	02	63
		2412	00	00	21
		2414	00	10	66
		2415	00	02	46
		2416	00	07	11
		2417	00	10	26
		1068	00	00	21
		1059	00	01	22

[फा. सं. आर-11025(11)/ 1/ 2019-ओआर-I/ई-28108]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th January, 2021

S.O. 297(E).—Whereas by the notification of the Government of the India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S. O. No. 4420 (E) Dated 09 December, 2019, published in the Gazette of the India issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying “Haldia-Barauni Pipeline Systems Project” for the transportation of Crude Oil in Patna District in the state of Bihar by Indian Oil Corporation Limited.

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public up to 22 July 2020.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted report to the Central Government;

And whereas the central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date publication of the declaration, in Indian Oil Corporation Limited, free from all encumbrances.

Indian Oil Corporation Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

District : Patna			State : Bihar		
Anchal	Name of Mouza	Survey / Plot No.	Area		
			Hectare	Are	Square Metre
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Mokama	Hathidah Buzurg - 20	1067	00	06	58
		1066	00	02	46
		1065	00	02	28
		1064	00	02	59
		2413	00	02	63
		2412	00	00	21
		2414	00	10	66
		2415	00	02	46
		2416	00	07	11
		2417	00	10	26
		1068	00	00	21
		1059	00	01	22

[F. No. R-11025(11)/1/2019-OR-I/E-28108]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 2021

का.आ. 298(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइंस (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्रकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 639 (अ) तारीख 7 फरवरी, 2020, भारत के राजपत्र सं. 585 तारीख 11 फरवरी, 2020 में प्रकाशित की गई थी। इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में बिहार राज्य में “हल्दीया - बरौनी पाइपलाइन सिस्टम्स परियोजना” हेतु जिला जमुई में कच्चा तेल के परिवहन हेतु इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार के अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी।

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की सूचना संबन्धित भू-स्वामियों को तारीख 12, सितंबर, 2020 तक उपलब्ध करा दी गई थी,

और सक्षम प्राधिकारी (बरौनी, बिहार) ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है,

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार के अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है की इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ,

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग के अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगी,

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदाई होगा और पाइपलाइन से संबन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची

जिला - जमुई			राज्य : बिहार		
अंचल	मौज़ा का नाम	सर्वे / प्लॉट नम्बर	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	अरे	वर्ग मीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सोनो	चुरहीत- 16	1694	00	02	97
		133	00	00	20
सोनो	डुमरी(भालसोम)- 13/30	230	00	11	58

सोनो	डुमरी(खापरिया)- 13/82	936	00	00	63
		937	00	05	49
सोनो	डुमरिया अराज़ी- 19	28	00	02	93
		29	00	04	03
		31	00	00	88
		27	00	04	72
		26	00	06	10
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सोनो	डुमरिया अराज़ी- 19	20	00	02	88
		18	00	02	61
		19	00	04	22
		6	00	02	86
सोनो	टोला सोनो- 14/1	1049	00	00	20
		1046	00	01	94
		1045	00	01	37
		1031	00	05	55
		1036	00	06	05
		1015	00	04	03
		1014	00	04	85
		1013	00	06	44
		910	00	06	82
		909	00	05	06
		911	00	00	96
		912	00	05	86
		913	00	04	45
		880	00	15	34
		881	00	02	59
		882	00	09	49
		883	00	03	93
		884	00	00	53
		388	00	15	01

[फा. सं. आर-11025(11)/1/2019-ओआर-I/ई-28108]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th January, 2021

S.O. 298(E).—Whereas by the notification of the Government of the India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S. O. No. 639 (E) Dated 07 February, 2020, published in the Gazette of the India No. 585 dated 11.02.2020 issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying “Haldia-Barauni Pipeline Systems Project” for the transportation of Crude Oil in Jamui District in the state of Bihar by Indian Oil Corporation Limited.

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public up to 12 September 2020.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted report to the Central Government;

And whereas the central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date publication of the declaration, in Indian Oil Corporation Limited, free from all encumbrances.

Indian Oil Corporation Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

District : Jamui			State : Bihar		
Anchal	Name of Mouza	Survey / Plot No.	Area		
			Hectare	Are	Square Metre
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sono	Churhit - 16	1694	00	02	97
		133	00	00	20
Sono	Dumuri (Bhalasom)- 13/30	230	00	11	58
Sono	Dumuri (Khapariya)- 13/82	936	00	00	63
		937	00	05	49
Sono	Dumariya Arazi- 19	28	00	02	93
		29	00	04	03

		31	00	00	88
		27	00	04	72
		26	00	06	10
		20	00	02	88
		18	00	02	61
		19	00	04	22
		6	00	02	86
Sono	Tola Sono- 14/1	1049	00	00	20
		1046	00	01	94
		1045	00	01	37
		1031	00	05	55
		1036	00	06	05
		1015	00	04	03
		1014	00	04	85
		1013	00	06	44
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sono	Tola Sono- 14/1	910	00	06	82
		909	00	05	06
		911	00	00	96
		912	00	05	86
		913	00	04	45
		880	00	15	34
		881	00	02	59
		882	00	09	49
		883	00	03	93
		884	00	00	53
		388	00	15	01

[F. No. R-11025(11)/1/2019-OR-I/E-28108]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.